

अप. संख्या. (प्रदा.) जा.क्र. 8254  
दिनांक 12/10/15

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक /4092 / 2912 / 2015 / सत्रह / मेडि-1

भोपाल, दिनांक 28/09/2015

प्रति,


आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय :- फ्लेट कय की अनुमति-डॉ. सरोजनी जेम्सबैक, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, प्राथ. स्वा. के. भदौरा जिला गुना।

संदर्भ:- आपकी टीप क्रमांक 1695 दिनांक 05.06.2015

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित टीप के परेप्रेक्ष्य में विचारोपरान्त सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 18 (1) एवं (2) के अधीन डॉ. सरोजनी जेम्सबैक, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, प्राथ. स्वा. के. भदौरा जिला गुना को उनके आवेदन अनुसार गुलमोहर कॉलोनी भोपाल में क्रिएटिव हाईटस एसोसिएट से राशि रूपये 40,000 00/- (रूपये चालीस लाख) के फ्लेट कय की अनुमति प्रदान की जाती है।



(डॉ० गनी अहमद खान)  
अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक / 1995 / 2912 / 2015 / सत्रह / मेडि-1

भोपाल, दिनांक /09/2015

प्रतिलिपि:-

डॉ. सरोजनी जेम्स बैक, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, प्राथ. स्वा. के. भदौरा जिला गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

SEEN BY AD(A)

PA to A.D.(A)  
D.H.S. M.P.